न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष एम0के0 सिंह

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3743/तीन/13 विरुद्ध आदेश दिनांक 09–07–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्र. 662/निग./2010–11

1– श्रीमती कुंज कुमारी पत्नी श्री नारायण
2– तारकेश्वर प्रसाद पिता श्री नारायण
3– गोरखनाथ पिता श्री नारायण
4– सुरेश कुमार पिता श्री नारायण
5– देवेश कुमार पिता श्री नारायण
सभी निवासी ग्राम– [illegible] तह. देवसर
जिला सीधी म.प्र.

..... आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन

..... अनावेदक

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री [illegible]

आदेश

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग [illegible] के प्रकरण क्र. 662/निग./2010–11 में पारित आदेश दिनांक 09–0[illegible]–13 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम [illegible] की भूमि सर्वे न. 28 तथा 31 का [illegible] क्रमशः 20 एकड़ तथा [illegible] एकड़ है [illegible] राजस्व निरीक्षक द्वारा जागीरदार के द्वारा दिए गए पट्टे के आधार पर [illegible] नाम पर किया गया। [illegible] प्रकरण में [illegible] कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव [illegible] में [illegible] [illegible]

विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की गई जो अपर आयुक्त ने [illegible] आदेश द्वारा निरस्त की [illegible] अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी [illegible] न्यायालय में पेश की गई है

3– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य को अनदेखा किया है कि आवेदकों को प्रश्नाधीन भूमियों के [illegible] के पूर्व प्राप्त था। [illegible] न्यायालय द्वारा भी यह अभिलिखित किया गया है पवाई [illegible] पवाईदार [illegible] आवेदकों को पट्टा नहीं दिया गया था। पवाईदार के [illegible] लक्ष्मीकांत [illegible] भी अपर कलेक्टर के न्यायालय में उपस्थित होकर उसके [illegible] आवेदकों [illegible] पट्टा दिए जाने का कथन किया गया है। अपर कलेक्टर [illegible] अपर आयुक्त [illegible] इस महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी की गई है, इस कारण उक्त आदेश [illegible] योग्य हैं।

4– अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

5– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा [illegible] आदेशों का परिशीलन किया गया। [illegible] आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण [illegible] उल्लेख करते हुए विस्तार से आदेश पारित किया गया है। [illegible] आधार यह पाया है कि आलोच्य भूमि वन विभाग की [illegible] खसरा [illegible] एवं 31 का क्षेत्रफल क्रमशः [illegible] एकड़ है। इसमें [illegible] भूमि [illegible] 38.81 एकड़ है जिसमें [illegible] पवाईदार हैं और इसमें [illegible] पवाईदार का [illegible] एकड़ है। ऐसी स्थिति में बिना अभिलेख [illegible] पवाईदार [illegible] भूमिस्वामी [illegible] भूमि रकबा 30.49 एकड़ का पट्टा देने का अधिकार ही नहीं था। [illegible] पट्टे देने के संबंध में [illegible] यह पाया है कि न तो [illegible] दार की [illegible] की गई है और न ही [illegible] नामा अंकित है और न ही [illegible] दिया गया है। [illegible] 75 डि. पर खसरा नं. 31 [illegible] लिखा है किंतु इसके [illegible] सर्वे नं. 28 में अन्य व्यक्तियों का कब्जा [illegible] अभिलेखों [illegible] जंगल पहाड़ अंकित है [illegible] कारण [illegible]

आयुक्त ने अपर कलेक्टर द्वारा वेस्तुल जाच कर पारित [illegible] आदेश [illegible] करते हुए निगरानी को निरस्त किया [illegible] प्रकरण [illegible] आयुक्त का आदेश विधिसम्मत, औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक [illegible]

परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है [illegible] आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर